

31/5/25

फार्म 'अ'

(परिपत्र दो-1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश पत्र(रेवेन्यू ऑर्डर शीट)

राज्य अधिकारी(रा0)के न्यायालय में मामला क्रमांक 2025050501000000 / 2024-2025

वृक्ष काटने की अनुमति बाबत.....मामले की श्रेणी.....अ-62.....सन्.....2024-2025

ग्राम -.....कोरबा.....बन्दोबस्त क्रमांक.....पटवारी हल्का क्रमांक.....16.....तहसील.....कोरबा.....

कलेक्टर का क्रमांक.....सन्.....अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक.....सन्.....2024-2025

तहसीलदार का क्रमांक.....सन्.....नायब तहसीलदार का क्रमांक.....सन्.....

आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही अनुज कुमार जायसवाल बनाम छ0ग0शासन	जहाँ आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और इसे पालन की तारीख
--	---	--

21/5/25

—आवेदक अनुज कुमार जायसवाल, निवासी— शिवाजी नगर कोरबा, तहसील व जिला—कोरबा, छ0ग0 के द्वारा सुशासन तिहार वर्ष 2025 में आवेदन पत्र क्रमांक 25270049500043 प्रस्तुत करन लेख किया गया है कि शिवाजी नगर के उद्यान में लगे वृक्षों की शाखाएँ वहाँ लगे लाईट की रोशनी को बाधित करते हैं जिसके कारण शाखाओं की छटाई करायी जावे। उक्त आवेदन पत्र मय प्ररूप—घ कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा के पत्र क्रमांक /के0बी0/ 638 कोरबा, दिनांक 01/05/2025 को प्राप्त हुई।

—प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे।

—प्रकरण में संलग्न वन विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र मय प्ररूप —घ का अवलोकन किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में पीपल का वृक्ष स्थित है, जो आवास गृह क्रमांक—38 के सामने सड़क के किनारे है, जिसका डंगाल चारो ओर फैला हुआ है तथा चारो ओर आवास गृह है।

—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप—धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है। नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

— अतः लोकहित की सुरक्षा की दृष्टि से शिवाजी नगर के उद्यान के किनारे स्थित 01 नग पीपल के डंगाल को छटाई करने की अनुमति दी जाती है।

—वृक्ष की कटाई किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

—संबंधितों को अनुमति की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कोरबा जिला कोरबा (छ.ग.)

938
05/05/2025

प्ररूप-ड
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

अनुज कुमार जायसवाल पिता ना0मा0
ग्राम-कोरबा(शिवाजी नगर)
तहसील.-कोरबा, थाना/सिविल लाईन रामपुर
जिला.-कोरबा

विषय:- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों के डंगाल की छंटाई करने की अनुमति बाबत।

विषयान्तर्गत आवेदक अनुज कुमार जायसवाल, निवासी- शिवाजी नगर कोरबा, तहसील व जिला-कोरबा, छ0ग0 के द्वारा सुशासन तिहार वर्ष 2025 में आवेदन पत्र क्रमांक 25270049500043 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि शिवाजी नगर के उद्यान में लगे वृक्षों की शाखाएँ वहाँ लगे लाईट की रोशनी को बाधित करते हैं जिसके कारण शाखाओं की छंटाई करायी जावे। उक्त आवेदन पत्र मय प्ररूप-घ कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा के पत्र क्रमांक /के0बी0/ 638 कोरबा, दिनांक 01/05/2025 को प्राप्त हुई। प्रकरण में संलग्न वन विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र मय प्ररूप -घ का अवलोकन किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में पीपल का वृक्ष स्थित है, जो आवास गृह क्रमांक-38 के सामने सड़क के किनारे है, जिसका डंगाल चारो ओर फैला हुआ है तथा चारो ओर आवास गृह है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

अतः लोकहित की सुरक्षा की दृष्टि से शिवाजी नगर के उद्यान के किनारे स्थित 01 नग पीपल के डंगाल को छंटाई करने की अनुमति दी जाती है।

वृक्ष की कटाई किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

पृ0क0 939 / अ0वि0अ0 / वा0-1 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर जिला-कोरबा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल-कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार, तहसील-कोरबा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, जिला-कोरबा(छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 2/5/2025

05/05/2025

-8
अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, जिला-कोरबा(छ.ग.)